राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 375/2024

मनोज कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री नरेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, वन सुरक्षा, उपवन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 18.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज पाटन उपवन संरक्षक, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज लूणकरणसर उपवन संरक्षक, बीकानेर किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 2 विवादग्रस्त आदेश जारी किये गये, जिसमें एक आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 172 पर तथा दूसरे आदेश में क्रम संख्या 20 पर अंकित किया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 25.06.2022 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर रिक्त पद के विरूद्ध अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया और मात्र 20 माह की अल्पावधि में ही आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया।

अपीलार्थी की माता जो 70 वर्ष की वृद्ध महिला है। उनकी देखभाल हेतु परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है, जिनका निरंतर उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–5 से प्रकट है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी का नाम आलोच्य आदेश में गलत अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का नाम मनोज कुमार मीणा न होकर मनोज कुमार है। इस प्रकार आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के अधीन क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज पाटन उपवन संरक्षक, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज लूणकरणसर उपवन संरक्षक, बीकानेर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 2 विवादग्रस्त आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं 22.02.2024 जारी किये गये, जिसमें एक आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 172 पर तथा दूसरे आदेश में क्रम संख्या 20 पर अंकित किया गया। आदेश दिनांक 25.06.2022 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर रिक्त पद के विरूद्ध अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया और मात्र 20 माह की अल्पावधि में ही आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को दो बार स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 जारी कर अपीलार्थी का जो स्थानान्तरण किया गया है, परंतु उसकी पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई और आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का जो स्थानान्तरण किया गया है, उसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। चूंकि अपीलार्थी 1 वर्ष 8 माह से एक ही स्थान पर पदस्थापित था और उसका स्थानान्तरण प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर ही किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है।

स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य